D.B.K.N. COLLEGE, NARHAN

SAMASTIPUR (BIHAR) PIN - 848211
(A CONSTITUENT COLLEGE OF L.N. MITHILA UNIVERSITY, DARBHANGA)

Principal

Letter No : ....

Date : ....

आवश्यक सूचना

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विज्ञप्ति सं० पी० आर० 220 / 2024 के आलोक में इंटरमीडिएट सत्र 2023–25 में नामांकित ऐसे छात्र / छात्राएँ जो किसी कारणवश सूचीकरण से वंचित रह गए थे, उनको दिनांक 10 / 06 / 2024 से 25 / 06 / 2024 तक अंतिम अवसर दिया गया है। अतः संबंधित सभी छात्र / छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक **10 / 06 / 2024 से 25 / 06 / 2024 तक** (कार्य दिवसों में) महाविद्यालय के लेखा शाखा में आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए बोर्ड की विज्ञप्ति सूचना के साथ संलग्न है।

Registration के लिए छात्र / छात्रा को निम्नलिखित अभिलेख / विवरणी साथ में लाना आवश्यक है:–

1. नामांकन रसीद
2. बैंक एकाउंट की विवरणी
3. आधार कार्ड
4. एक पासपोर्ट साईज फोटो
5. चयनित विषयों का विवरण
6. छात्र / छात्रा का हस्ताक्षर
7. दो पहचान चिन्ह
8. मोबाईल नंबर एवं ई–मेल

11/06/2024

प्रधानाचार्य

11/06/24

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

विज्ञप्ति संख्या – पी.आर. 220 / 2024

सत्र 2023–25 में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में इंटरमीडिएट (11वीं कक्षा) में नामांकित नियमित एवं स्वत्रंत कोटि के विद्यार्थियों के लिए सूचीकरण / अनुमति आवेदन भरे जाने एवं शुल्क (विलम्ब शुल्क के साथ) जमा करने हेतु दिनांक 10.06.2024 से 25.06.2024 तक अंतिम अवसर दिए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा इन्टरमीडिएट / +2 स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान, संबंधित विद्यार्थियों, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि विज्ञप्ति संख्या– पी0आर0 416 / 2023, पी0आर0 444 / 2023, पी0आर0 461 / 2023, पी०आर० 17 / 2024 एवं पी०आर० 27 / 2024 के द्वारा इन्टरमीडिएट सत्र 2023–25 के लिए 11वीं कक्षा में कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विधिवत् नामांकित नियमित कोटि के तथा कला एवं वाणिज्य संकाय में स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों का संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से **दिनांक 31.01.2024 तक** ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने हेतु अवसर प्रदान किया गया था।

2. उक्त अवधि में सूचीकरण से वंचित छात्र / छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए सूचीकरण आवेदन भरे जाने एवं शुल्क (विलम्ब शुल्क के साथ) जमा करने हेतु **दिनांक 10.06.2024 से 25.06.2024 तक** अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। इस अवधि में मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों / महाविद्यालयों के प्रधान समिति की वेबसाईट **seniorsecondary.biharboardonline.com** से अपने यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड का उपयोग करते हुए सूचीकरण से वंचित विद्यार्थियों का ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन भर सकते हैं एवं शुल्क जमा कर सकते हैं। **विलम्ब शुल्क के साथ शुल्क विवरण निम्नवत् है:–**

राकेश कापर

मद			निर्धारित शुल्क	विलम्ब शुल्क के साथ निर्धारित शुल्क
सूचीकरण आवदन शुल्क (सभी कोटि के छात्र / छात्राओं के लिए)			₹ 60/–	₹ 60/–
ऑनलाईन शुल्क रू० 55/– (पचपन) में से रू० 30/– (तीस) शिक्षण संस्थान द्वारा रखा जाएगा, जिसका उपयोग शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा विद्यार्थी के ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन भरने तथा उन्हें डमी / मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कराने के मद में किया जाएगा।			₹ 55/–	₹ 55/–
नियमित कोटि एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए	(i)	सूचीकरण शुल्क	₹ 400/–	₹ 550/–
	(ii)	इमीग्रेशन शुल्क	₹ 200/–	₹ 350/–
स्वतंत्र कोटि के लिए	(i)	सूचीकरण शुल्क	₹ 400/–	₹ 550/–
	(ii)	इमीग्रेशन शुल्क	₹ 200/–	₹ 350/–
	(iii)	अनुमति शुल्क	₹ 400/–	₹ 550/–
नियमित कोटि के छात्र / छात्रा के लिए कुल शुल्क			₹ 515/–	₹ 665/–
स्वतंत्र कोटि के छात्र / छात्रा के लिए कुल शुल्क			₹ 915/–	₹ 1215/–
इमीग्रेशन शुल्क सिर्फ अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण छात्र / छात्रा के लिये अनुमान्य है। अन्य बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण छात्र / छात्रा को मूल प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) भी अपने शिक्षण संस्थान में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी जवाबदेही शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी।				
अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं उत्तीर्ण नियमित कोटि के छात्र / छात्रा के लिए कुल शुल्क			₹ 715/–	₹ 1015/–
अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं उत्तीर्ण स्वतंत्र कोटि के छात्र / छात्रा के लिए कुल शुल्क			₹1115/–	₹ 1565/–

3. उक्त हेतु समिति के पोर्टल पर दो अलग–अलग प्रकार के सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किए गए हैं :–

(i) नियमित कोटि के विद्यार्थियों के लिए जो सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किया गया है, उसमें खण्ड 'A' एवं खण्ड 'B' है। खण्ड 'A' में क्रमांक 1 से 16 तक विद्यार्थी का विवरण भरा हुआ है, जो OFSS प्रणाली से नामांकन हेतु उसके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर है। उसमें विद्यार्थी द्वारा कोई छेड़–छाड़ / परिवर्तन नहीं किया जाना है। विद्यार्थी द्वारा मात्र खण्ड 'B' में क्रमांक 17 से 33 तक में अंकित विवरणों को अनिवार्य रूप से भरा जाना है।

(ii) स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थी के लिए जो सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किया गया है, उसमें विद्यार्थी द्वारा अनिवार्य रूप से सभी विवरणों को भरा जाना है।

4. यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों / महाविद्यालयों के प्रधान द्वारा ही वैध विद्यार्थियों का सूचीकरण / अनुमति आवेदन ऑनलाईन भरा जाएगा एवं निर्धारित शुल्क (विलम्ब शुल्क के साथ) जमा किया जाएगा। जिन शिक्षण संस्थानों की मान्यता / सम्बद्धता रद्द / निलम्बित / वापस ले ली गई है, वैसे शिक्षण संस्थानों के सूचीकरण / अनुमति आवेदन कदापि नहीं भरा जाएगा।

5. विगत् कई वर्षों में कुछ विद्यार्थियों का सूचीकरण / परीक्षा आवेदन भरने के उपरांत निर्धारित शुल्क कतिपय शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा जमा नहीं करने के कारण कई विद्यार्थियों का परीक्षाफल काफी अधिक समय तक लंबित रहता है, जो उचित नहीं है। इसलिए इस वर्ष से यह प्रावधान किया गया है कि जितने विद्यार्थियों का सूचीकरण आवेदन भरा जाएगा, उतने विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर निर्धारित शुल्क (विलम्ब शुल्क के साथ) शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा प्रथमतः जमा किया जाएगा। इसके उपरांत ही सूचीकरण आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

6. राज्य के वैसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, जहाँ नामांकन OFSS के माध्यम से नहीं हुआ है किन्तु विद्यार्थियों के नामांकन का अपडेशन समिति के पोर्टल पर किया गया है, के विद्यार्थियों का ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन प्रपत्र भी उक्त अवधि में भरा जाएगा।

7. सत्र–2023–25 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों का उन्हीं विषय के साथ परीक्षा आवेदन एवं शुल्क स्वीकार किया जाएगा, जिन विषयों के साथ विद्यार्थी सूचीकृत होंगे। अतः इसमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कि सूचीकरण / अनुमति आवेदन भरते समय कोई त्रुटि न हो।

8. अतः अनुरोध है कि विशेष प्राथमिकता देते हुए पूरी सतर्कता के साथ सत्र–2023–25 के सही अभ्यर्थित्व वाले विद्यार्थियों के ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन भरवाने एवं शुल्क (विलम्ब शुल्क के साथ) जमा करवाने की सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

9. विज्ञप्ति संख्या– पी0 आर0 416 / 2023 की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

10. ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर समिति के **हेल्पलाईन नं0–0612–2230039** अथवा **E-mail ID: reg.bsebhelpdesk@gmail.com** पर सूचित कर समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०)